रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112023-250256 CG-DL-E-24112023-250256

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4832]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2023/अग्रहायण 3, 1945

No. 4832]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2023/AGRAHAYANA 3, 1945

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

## (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2023

का.आ. 5041(अ).—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवचार ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकयों, प्रसुविधाओ और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम), 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (बी) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में, भारतीय भेषजी परिषद को प्राधिकृत किये जाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय भेषजी परिषद को स्वैच्छिक आधार पर निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आधार प्रमाणीकरण निष्पादन की आज्ञा प्रदान की जाती है:

- i. पोर्टल पर अधिकारियों, संकाय और छात्रों को प्रमाणित करना:
- ii. हाँ/नहीं या/और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके बायोमेट्रिक्स के माध्यम से संकाय की उपस्थिति दर्ज करने के लिए;

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) समय-समय पर यूआईडीएआई/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में अधिनियम, नियमों, विनियमों या दिशानिर्देशों के प्रावधानों और निर्देशों का पालन करेगी।

[फ़ा. सं. जेड-28020/86/2023-एएचएस]

डॉ. विपुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

7334 GI/2023 (1)

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

#### (Department of Health and Family Welfare)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2023

**SO. 5041(E).**—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Health & Family Welfare, having been authorized by the Central Government, hereby notifies that Pharmacy Council of India (PCI) is allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for the following purposes:

- i. Authenticating the officials, faculty and students on the portal;
- ii. For capturing attendance of the faculty through biometrics using Yes/No or/and e-KYC authentication facility;

Pharmacy Council of India (PCI) shall adhere to the provisions of Act, Rules, Regulations or Guidelines made thereunder and directions with respect to use of Aadhaar authentication as laid down by the UIDAI/ Central Government from time to time.

[F. No. Z-28020/86/2023-AHS]

Dr. VIPUL AGGARWAL, Jt. Secy.